

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)

क्रमांक:- एसडीएम/ अभियान/2018/733

दिनांक:- 21-06-2018

:: आदेश ::

प.लं 656/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार, डूंगरपुर की रिपोर्ट एवं अनुसंधान के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पीपलाहा पटवार मंडल, पीपलाहा तहसील एवं जिला डूंगरपुर की जमाबंदी संवत् 2070-73 नें खाता संख्या 222 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र0सं0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1	पीपलाहा	222	पोपटलाल-अन्नना सन्तोष पिता मंगललाल नां0 6/10 सरवरकार मालावती लीला बेना मंगललाल हिं 1/4 श्रीधर बदनूर जमाबंदी	अल्पेश-अन्नना सन्तोष पिता मंगललाल नां0 6/10 सरवरकार मालावती लीला बेना मंगललाल हिं 1/4 श्रीधर बदनूर जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर

दिनांक:- 21-06-2018

क्रमांक-सम/733

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1- तहसीलदार, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर जलना रिपोर्ट भिजावे।

2- प्रार्थी श्री

3- पटवारी हल्का - पीपलाहा

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर